कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/ विद्युत/ 479-173/ 1902 रायपुर, दिनांक 31/07/2019

प्रति,

वन मंडलाधिकारी (नोडल)
धरमजयगढ़ वन मंडल, धरमजयगढ़
छत्तीसगढ़

विषयः – **Construction of "765 KV D/C Dharamjaigarh pool Section B – Raigarh (Tamnar) pool Transmission line" awarded through Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) route to Goa Tamnar Transmission Project Limited (GTTPL) – Regarding Delay in getting forest clearance for Diversion of 137.014 ha of forest land in Chhattisgarh State.**

संदर्भः मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 1498 दिनांक 04.07.2019

–0–

विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित 765 के. व्ही डी. सी. धरमजयगढ़–रायगढ़ (तमनार) पारेषण लाईन निर्माण हेतु 137.014 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न कमियां पाई गई हैः–

1. कोरबा वन मंडल द्वारा वेब अपलोड किये गये प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र खसरा नं. 44/1 रकबा 20.00 हे. खसरा नं. 941/1 रकबा 10.00 हे. एवं संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ–99 रकबा 10.00 हे. का के.एम.एल फाईल नहीं खुल रही है। पुनः सही के.एम.एल. फाइल अपलोड करें। के.एम.एल. फाइल सी.डी. में खुल रही है परंतु वेब पर नहीं खुल रही है।

2. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी. एफ. 97 में पूर्व में वृक्षारोपण होना प्रतीत हो रहा है। वन मंडलाधिकारी जांजगीर चांपा स्वयं के स्थल निरीक्षण के उपरांत वृक्षारोपण हेतु स्थल की उपयुक्तता प्रमाण पत्र देवें।

3. कोरबा वन मंडल द्वारा वन मंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र–III वेब पर अपलोड नहीं किया गया है। अतिरिक्त जानकारी में अपलोड करें।

अतः उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के माध्यम से जानकारी प्रेषित करें।

(मुख्य वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/ विद्युत/ 479-173/ 1903 रायपुर, दिनांक 31/07/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। वृत्त स्तर पर वन मंडल से प्राप्त जानकारी मूलतः वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा रहा है जो उचित नहीं है। वनमंडल से प्राप्त जानकारी का परीक्षण 27 बिन्दु की चेकलिस्ट अनुसार किया जाकर अभिमत देवें।
2. **वन मंडलाधिकारी**, कोरबा / रायगढ़ / जांजगीर–चांपा वन मंडल, छत्तीसगढ़।
3. **उप प्रबंधक**, गोवा तमनार पारेषण लाईन परियोजना, पं. रविशंकर शुक्ला नगर, कोरबा, छत्तीसगढ़।

वर्तमान में किसी भी प्रकार के वन भूमि में उक्त कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

(मुख्य वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़